

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 13 / भर्ती / सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग)/EP-I / 2018-19

दिनांक : 28.05.2018

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निमानुसार है :-

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				
	सामान्य	साम.	विधा	परिवर्तना																	
गैर टी.एस.पी. क्षेत्र 115 पद	42	12	4	1	13	4	1	0	10	2	1	0	17	6	1	0	1	0	0	0	0
Horizontal Reservation :- B/LV-02, HI-01, LD/CP-01, Ex-serviceman - 14																					
टी.एस.पी. क्षेत्र 15 पद	7	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horizontal Reservation :- B/LV-01, Ex-serviceman - 01																					

विशेष नोट :- गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध टीएसपी क्षेत्र के निवासी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अन्यथा टी.एस.पी. क्षेत्र/गैर टीएसपी क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन फार्म में भरें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। टी.एस.पी. क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अन्यथा ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अन्यथा यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए आवेदित अन्यथियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :-

(i) B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours of a University established by Law in India.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

आयु सीमा – दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। **रनिंग पे-बैण्ड** – पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-11

क्र.सं.	आयु सीमा में छूट के प्रावधान										अधिकतम आयु में देय छूट									
	अन्यथियों का वर्ग										अधिकतम आयु में देय छूट									
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिला										5 वर्ष									
2.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला										10 वर्ष									
3.	विधाएवं अन्य विचारित विवाह (परिवर्तना) महिला										अधिकतम आयु सीमा नहीं									
4.	निःशक्तजन सामान्य पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति										10 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष									
	नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है— “Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”																			

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। that the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। that the upper age limit mentioned above relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.
3	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्तित ऊर्पी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बाबाबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अन्यथा को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। that the upper age limit mentioned above relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
4	इस सेवा के किसी पद पर अन्यथा नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष अखिरी उपरिवर्तित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। that persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
5	राजस्थान राज्य के काराबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to post filled in through the Commission by interview.
6	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपरिवर्तित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। that the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। that the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporations in Substantive capacity shall be 40 years.
8	कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। that there shall be no age limit in the case of persons repatriated from East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar.
9	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। that there shall be no age limit in case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.
10	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊर्पी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञा आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊर्पी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be given fifteen years to Ex-servicemen. Provided that permissible age after relaxation work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable.

नोट –

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यथियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अन्यथा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

- (3) पूर्व में गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु सहायक कृषि अधिकारी के पद आयोग के विज्ञापन संख्या 04 / 2015-16 दिनांक 16.10.2015 द्वारा विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2016 को की गई तथा टीएसपी क्षेत्र हेतु सहायक कृषि अधिकारी के पद आयोग के विज्ञापन संख्या 8 / 2015-16 दिनांक 16.2.2016 द्वारा विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना 01.01.2017 को की गई। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अध्यर्थी दिनांक 01.01.2019 को अधिकार्य के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में गैर टीएसपी क्षेत्र के लिए दो वर्ष की छूट तथा टीएसपी क्षेत्र के लिए एक वर्ष की छूट देय होगी।
- (4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगे।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।
चयन प्रक्रिया	अध्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अध्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर/जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 06-06-2018 से दिनांक 30-06-2018 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अध्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Select कर एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अध्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अध्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अध्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अध्यर्थी द्वारा अध्यर्थी को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अध्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लिखित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 01-07-2018 से दिनांक 07-07-2018 तक 12-00 बजे तक।

विशेष नोट :-

- (1) अध्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अध्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
(2) आयोग द्वारा अध्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाइन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अध्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अध्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :- “यदि कोई अध्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अध्यर्थी का ही होगा।”

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(दीपिति शर्मा)
उप सचिव